रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



HRC and Royaldia

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ट 3 उप खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	251]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3,1937
No	. 251]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि.310(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. 401 (अ), तारीख 11 जून, 2014 द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय श्रम सेवा (सगूह 'क') नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय श्रम सेवा में भर्ती की पद्धति और सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2015 है।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय अभिप्रेत है;
- (ग) "समिति" से अनुसूची-IV में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारियों की किसी श्रेणी में प्रोन्नति, पुष्टि और अकृत्यिक उन्नयन पर विचार करने के लिये इन नियमों के अधीन गठित विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति या छानबीन समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "ड्यूटी पद" से कोई ऐसा पद अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जो अनुसूची-I में सम्मिलित है;
- (ड) "श्रेणी" से अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है;

1807 GI/2015

(1)

- (च) "अन्य पिछड़े वर्ग" का वही अर्थ और प्रयोज्यता है जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थापना(एस सी टी) तारीख 08 सितम्बर,1993 में दिया गया है।
- (छ) किसी श्रेणी के संबंध में, "नियमित सेवा" से अनुसूची-III में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में की गयी सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और जिसमें निम्नलिखित अवधि या अवधियाँ सम्मिलित हैं-

(i) नियम 5 के अनुसार नियुक्त उन व्यक्तियों की दशा में जिस पर ज्येष्ठता के प्रयोजनों के लिए विचार की गई;

(ii) कोई अधिकारी उस श्रेणी में उस दौरान ड्यूटी पद धारण करता किन्तु जिसके दौरान उसके छुट्टी पर रहने के कारण या अन्यथा उस पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजातियों" का क्रमश: वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुछेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनका अर्थ है;

(ल) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय त्रम सेवा (समूह 'क') अभिप्रेत है।

3. सेवा का गठन- (1) केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') के रूप में ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 5 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त सदस्य होंगे।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह 'क' पद होंगे।

4. सेवा के सदस्य- निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्:-

TOWT

1. (क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 5 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया गया समझा गया है; और

(ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 7 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया गया है।

2. उपनियम(1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उसकी नियुक्ति की तारीख से समुचित श्रेणी में उसको प्रयोज्य सेवा का सदस्य होगा।

5. आरम्भिक गठन-(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को ऐसे अधिकारियों की सेवा को, जिसको अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों में केंद्रीय श्रम सेवा नियम, 2014 के अधीन नियमित आधार पर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं और इस प्रकार नियुक्त अधिकारी, सेवा के आरम्भिक गठन से संबन्धित श्रेणियों में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व उपनियम (1) में दी गई संबन्धित तत्समान श्रेणियों में उल्लिखित अधिकारियों की निरंतर नियमित सेवा को ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा।

6. श्रेणियाँ, प्राधिकृत सं. और उसका पुनर्विलोकन- (1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो अनुसूची-l में यथाविनिर्दिष्ट है।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, अवधारित की जाए।

(3) केंद्रीय सरकार, विभिन्न श्रेणियों में, जो समय-समय पर आवश्यक समझी जाए ड्यूटी पदों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करके, अनुसूची-। में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(5) केंद्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करके, ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, किसी अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में, जो वह ठीक समझे, सेवा की समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सकेगी और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी। 7. सेवा का भावी अनुरक्षण- अनुसूची-। में निर्दिष्ट किन्ही श्रेणियों के पद, इस नियम में उपबंधित रीति से भरे जाएंगे और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से संबन्धित श्रेणियों में सेवा के सदस्य होंगे।

(क) सेवा के कनिष्ठ काल-वेतनमान में पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से, अनुसूची-II में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ और आयु-सीमा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और शेष पचास <mark>प्रतिशत</mark> पद, अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा सहित कल्याण प्रशासक और श्रम प्रवर्तन अधिकारी(केंद्रीय) के पद धारण करने वाले निम्न श्रेणी के ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

<u>(</u>ख) ज्येष्ठ काल-वेतनमान में सभी पद और उससे उच्च पदों को अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा के अनुसार भरा जाएगा।

(ग) अधिकारियों की प्रोन्नति, निम्नलिखित दशा के सिवाय 'चयन' द्वारा की जाएगी,अर्थात्:-

सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या कल्याण आयुक्त (मुख्यालय) या श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या निदेशक (प्रशिक्षण), केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उनकी उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के क्रम अकृत्यिक चयन श्रेणी में प्रदान की जाएगी।

(घ) सेवा के प्रत्येक पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती, अनुसूची-IV में यथाविनिर्दिष्ट समिति की सिफ़ारिशों पर की जाएगी।

(ड) सेवा के अधिकारियों से अगली उच्चतर श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए उनके कार्यों से सुसंगत पाठयकर्मों का प्रशिक्षण लेना अपेक्षित होगा।

8. अकृत्यिक कार्यात्मक उन्नयन: (क) जब भी राज्य या संयुक्त काडर का भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी केंद्र में वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 या एच ए जी में कोई विशिष्ट ग्रेड वेतन वाली विशिष्ट श्रेणी में तैनात किया जाता है तब सेवा के बैचों से संबंधित ऐसे अधिकारी जो दो वर्ष या अधिक अवधि से ज्येष्ठ हैं और जिन्हें विशिष्ट श्रेणी में अभी तक प्रोन्नत नहीं किया गया है उन्हें अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय छानबीन समिति की सिफ़ारिशों पर केंद्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी प्रदान की जाएगी।

(ख) एक विशिष्ट श्रेणी में उन्नयन के लिए सभी विहित पात्रता मापदंड और 'बैंचमार्क' सहित प्रोन्नति मानकों का उच्चतर वेतनमान के लिए छानबीन के समय पूरे करने होंगे [कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तारीख 24.04.2009 का कार्यालय ज्ञापन संख्या ए बी14017/64/2008-स्थापना (आर आर) का उपाबंध-1]

(ग) अकृत्यिक आधार पर उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए अन्य निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार होंगी।

9. ज्येष्ठता- (1) सेवा के सदस्यों से संबन्धित ज्येष्ठता, उनके संबंधित श्रेणी में ज्येष्ठता के रूप में पहले से ही इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पहले विहित किया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसे किसी भी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ से पहले विहित नहीं किया गया था, तो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ज्येष्ठता के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा साधारण आदेशों और अनुदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) **नियम 7** के अधीन नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता का अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) ऐसे अधिकारियों की दशा में जो उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन नहीं आते हैं, वहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से ज्येष्ठता का अवधारण किया जाएगा।

10. परिवीक्षा-(1) सेवा के कनिष्ठ काल-वेतनमान के पद पर नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे:

परन्तु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा:

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने का कोई विनिश्चय, परिवीक्षा की आरंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात तुरंत किया जाएगा और साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर तथा संबद्ध अधिकारी को लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों के साथ उक्त अवधि के भीतर संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर या उसके किसी विस्तार पर, यदि अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो सेवा में उनकी पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, नियंत्रक प्राधिकारी की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो नियंत्रक प्राधिकारी, यथास्थिति, उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसे सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा।

(4) परिवीक्षा कि अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, किसी अधिकारी से नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण और अनुदेशों को पूरा करने या ऐसी परीक्षाएं

या परीक्षण (जिनमें हिन्दी माध्यम में परीक्षा भी सम्मिलित है) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो नियंत्रक प्राधिकारी, परिवीक्षा के संतोषप्रद रूप से पूरा करने की शर्त को ठीक समझे।

(5) परिवीक्षा से सबंधित अन्य ऐसे मामलों के सबंध में, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी आदेशों, अनुदेशों द्वारा शाशित होंगे।

11. भारत के किसी भी भाग में सेवा का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें-(1) सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी, भारत या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के दायित्व होंगे।

(2) सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी, यदि इस प्रकार अपेक्षा की जाए, तो चार वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए, जिसमें प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर सेवा करने के दायित्व होंगे:

परंतु ऐसे अधिकारी से --

(क) सेवा में उसकी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

Titler Totals

(ख) यदि वह चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो सामान्यतया उससे यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) उन विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वही होंगी जो केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती है ।

12. निरईता-वह व्यक्ति,-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- सेवा पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. निर्वचन : इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो आयोग के परामर्श से उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

अनुसूंची-1

[नियम 2(घ) 6(1) और नियम 7 देखिए]

केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों का नाम , संख्या तथा वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड

वेतन

क्रम सं	श्रेणी और पदाभिष्ठान	पदों की	वेतनमान	ग्रेड वेतन
4	. *	संख्या*		
01	उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी)	1	67,000 रुवार्षिक वेतन	
	[मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)]	6.	वृद्दि @ 3% 79,000 रु.	
02	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)	2	वेतन बैंड-4	10000 হ.
	[अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या उप महानिदेशक (मुख्यालय)]		37400-67000 হ.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
03	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एनएफएसजी)	**	वेतन बैंड -4	8700 হ.
			37400-67000 ত.	
04	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)		वेतन बैंड -3	7600 रु.
	[उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या कल्याण आयुक्त		15600-39100 হ.	107
	(केंद्रीय) या श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) या निदेशक (प्रशिक्षण)]	59	B	54
05	ज्येष्ठ काल- वेतनमान (एसटीएस)	115	वेतन बैंड-3	6600 হ.
	[प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या उप कल्याण आयुक्त	5	15600-39100 হ.	
	(केंद्रीय) या उप कल्याण श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या उप			
	निदेशक (आई आर)]			
06	कनिष्ठ काल- वेतनमान (जेटीएस)	163	वेतन बैंड-3	5400 रु.
	[सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या सहायक कल्याण		15600-39100 হ.	7
	आयुक्त (केंद्रीय) या सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय)			
	या सहायक निदेशक (आई आर)]			x
	(जेटीएस में दिखाए गए पदों में प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण			к.
	और छुट्टियों के लिए आरक्षित पद भी सम्मिलित हैं)			

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

**वेतन बैंड -4, (37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.) के वेतनमान में 'अकृत्यिक चयन श्रेणी' में पदों की संख्या को ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (अर्थात् ग्रेड वेतन 6600 रु. या उससे अधिक के वेतन बैंड के पदों सहित) 30 प्रतिशत तक निर्बन्धित किया जायेगा। काडर की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और 'अकृत्यिक चयन श्रेणी' में प्रवर्तित पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

1807 95715-2

अनुसूची-11

[नियम 7(क) देखिए]

केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ काल-वेतनमान वाले पदों पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव और आयु-सीमा निम्नानुसार होंगी:-

आवश्यक:-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण या औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रबंधन या श्रम विधि में डिप्लोमा।

वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।

टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

बायु-सीमा: 35 से अनधिक।

<u>टिप्पण 1</u>: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <u>टिप्पण 2</u>: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये गए विज्ञापन के अनुसार होगी।

अनुसूची-III

[नियम 2(च) और नियम 7(ख) तथा नियम (ग) देखिए]

केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र

1.1	क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की पध्दति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
~ .	1	2	3	4
in the	-1 ."	उच्च प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा (चयन के आधार	प्रोन्नति:
		(एचएजी) [मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)]	पर) जिसके न हो सकने पर	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है या फीडर ग्रेड के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस सेवा के
			प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके	समूह 'क' में 25 वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से कम से कम एक वर्ष
		Эл	अंतर्गत अल्प कालिक संविदा	की नियमित सेवा एस ए जी में हो।
			भी है)	प्रतिनियुक्तिः (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है)
				केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से:
		÷.	м.	
			5	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4 के वेतनमान 37,400-67,000 रु. ग्रेड वेतन + 10,000 रु. में एस ए जी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
			а. — Х.	(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:
				आवश्यक अर्हताएँ:
		14. M		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री;
	9			(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण या औद्योगिक संबंध या कर्मिक प्रबंधन या श्रम विधि में डिप्लोमा।

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I	r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			अनुभव:
			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, आदि के सार्वजनिक क्षेत्र में 18 वर्ष का
			कार्यकरण का अनुभव जिसमें से श्रम विधियों या औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र
			में औद्योगिक विवाद समाधानों और श्रम कल्याण स्कीमों में जिसके अंतर्गत
			अंतरराष्ट्रीय श्रम विधियों के पहलू और उसका ज्ञान भी है, कम से कम
		6	पाँच वर्ष का अनुभव।
			टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी
			या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित
*	1 a		किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया
			तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	1 1		टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा
			आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
			टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी
	8		अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे
	2		केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन
*			संरचना का विस्तार किया गया है।) नियमित आधार पर की गई सेवा को,
			सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का
		е — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है
		8	और वहाँ यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण
			प्रतिस्थापित ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित
			तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
2	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा (चयन के आधार	प्रोन्नति: जेएजी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में जिसके अंतर्गत
	(एसएजी)।	पर)	अकृत्यिक चयन श्रेणी भी है, आठ वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे
	[अपर मुख्य श्रम		अधिकारी, जिन्होंने सेवा के समूह 'क' पदों पर सत्रह वर्ष नियमित सेवा
	आयुक्त (केंद्रीय) या उप		की है जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा जेएजी में हो
	महानिदेशक	4	(जिसके अंतर्गत जेएजी की अकृत्यिक श्रेणी में की गई सेवा भी है) ।
	(मुख्यालय)]		
3		उपयुक्तता के अधीन रहते हुए	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. में ऐसे कनिष्ठ
	जी). अकृत्यिक चयन	स्थानन द्वारा	प्रशासनिक अधिकारी की, जिसकी समूह 'क' पद पर नियुक्ति या भर्ती की
	श्रेणी (एनएफएसजी)	i ka	गई थी, नियमित आधार पर चयन के वर्ष से संगणित उस वर्ष की 1
			जनवरी को सेवा की 14 वें वर्ष में प्रवेश कर लिए हैं ।
4	कनिष्ठ प्रशासनिक	प्रोन्नति द्वारा (चयन के आधार	प्रोन्नति:
	श्रेणी (जेएजी)। [उप	पर)	वेतन बैंड-3,15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में ज्येष्ठ काल
	मुख्य श्रम आयुक्त		वेतनमान (एस टी एस) श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच
	(केन्द्रीय) या कल्याण	8. E	वर्ष नियमित सेवा की है।
	आयुक्त (केंद्रीय) या		
	श्रम कल्याण आयुक्त	10 C	
	(केन्द्रीय) या निदेशक (प्रशक्षिण)]		· ·
	(प्रशासण)] ज्येष्ठ काल-वेतनमान	प्रोन्नति द्वारा (चयन के आधार	प्रोन्नति:
5	(एसटीएस)।	पर)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रू. में कनिष्ठ काल-
	[प्रादेशिक श्रम आयुक्त		
	(केन्द्रीय) या उप		वेतनमान(जे टी एस) श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में चार
	कल्याण आयुक्त		वर्ष नियमित सेवा की है
	(केन्द्रीय)या उप श्रम		

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

	कल्याण आयुक्त		
	(केन्द्रीय) या उप		
1. 1910 - 11	निदेशक (औद्योगिक	e.	
	संबंध)]		
6	कनिष्ठ काल-वेतनमान	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति:
	(जेटीएस) । [सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में ऐसे
	त्रम आयुक्त (कन्द्राय) या सहायक कल्याण		कल्याण प्रशासक में से 15 प्रतिशत (50 प्रतिशत) प्रोन्नति जिन्होंने उस
· .	आयुक्त (केन्द्रीय या	, ,	श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी
	सहायक श्रम कल्याण		मान्यताप्राप्त विश्वविद्याल्य से डिग्री है ; और वेतन बैंड - 2: 9300-
	आयुक्त (केन्द्रीय) या	9	34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान में ऐसे श्रम प्रवर्तन
	सहायक निदेशक)	x - 4	अधिकारी (केन्द्रीय) में से 85 प्रतिशत (50 प्रतिशत) प्रोन्नति जिन्होंने उस
	औद्योगिक संबंध]		श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी
1	ar san sa ta ta t		मान्यताप्राप्त विश्वविद्याल्य से डिग्री है।

टिप्पण 1: ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करे लेरे है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह क) नियम, 2007 की अधिसूचना की तारीख को अर्थात् 15.05.2008 को नियमित आधार पर कल्याण प्रशासक और श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद धारण किए हुए हैं उन्हें किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्याल्य की डिग्री से छूट प्राप्त हैं |

टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी|

अनुसूची-IV

(नियम 2(ग) और नियम 7(घ) देखिए)

केन्द्रीय श्रम सेवा के समूह 'क' अधिकारियों की प्रोन्नति, पुष्टि और अकृत्यिक उन्नयन की दशा में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति:

क्र.सं.	पद का नास	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	0	अकृत्यिक उन्नयन (एनएफयू) के संबंध में विचार करने के लिए छानबीन समिति
1	2	3	4	5
1	उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी)। [मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)]	 (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष (ii) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय -सदस्य (iii) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग -सदस्य 	लागू नहीं होता	1. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष 2. सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य 3. सचिव, वाणिज्य विभाग - सदस्य
2	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)। [अपर मुख्य श्रम आयुक्त	 (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (ii) सचिव, श्रम और रोजगार 	लागू नहीं होता	(i) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय <i>–</i> सदस्य

8

- Car -

1867	557	15-3	
------	-----	------	--

	(केन्द्रीय) या उप महानिदेशक (मुख्यालय)]	मंत्रालय -सदस्य (iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -सदस्य		(iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) -सदस्य
	2.			
3	एनएफएसजी (जेएजी)। (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	(i) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष	लागू नहीं होता.	लागू नहीं होता
-	×	(ii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -सदस्य	а. В.	
		(iii)संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य		
		(iv) संयुक्त सचिव(प्रशासन), जल संसाधन मंत्रालय- सदस्य		
4	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)।	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष	लागू नहीं होता	(i) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष
	[उप मुख्य श्रम आयुक्त	(ii) अपर सचिव या संयुक्त		(ii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -सदस्य
	(केन्द्रीय) या कल्याण आयुक्त	सचिव, श्रम और रोजगार		(iii) संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय -सदस्य
	या कल्याण आयुक्त (मुख्यालय) या श्रम कल्याण	मंत्रलय -सदस्य		-1474
	आयुक्त या निदेशक (प्रशिक्षण)]	(iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -सदस्य		
5	ज्येष्ठ काल-वेतनमान	(i) सचिव, श्रम और रोजगार	लागू नहीं होता	(i) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय -अध्यक्ष
	(एसटीएस)। [प्रादेशिक श्रम आयुक्त	मंत्रालय -अध्यक्ष		(ii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) – सदस्य
	(केन्द्रीय) या उप श्रम ′कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या		н. 1	(iii) संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रलय
	उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)]	(iii) संयुक्त सचिव, श्रम और		–सदस्य
-	कनिष्ठ काल-वेतनमान	रोजगार मंत्रालय -सदस्य	(1)	लाग नहीं होता
6	काल-पतनमान (जेटीएस)।	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	(I) अपर साचव, श्रम और	
	[सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक श्रम	(ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार	रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष	
	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक कल्याण आयुक्त	मंत्रालय -सदस्य	(ii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	
	(केन्द्रीय) या सहायक निदेशक]	(iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) -सदस्य	आयुक्त (कन्द्राय) -सदस्य	
			(iii) निदेशक या उप सचिव, श्रम	
			और रोजगार मंत्रालय - सदस्य	
			L	[फा. सं. ए-39011/02/2013-सीएलएस-1]

धीरज कुमार, संयुक्त सचिव

[भाग II-खण्ड 3(i)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATON

New Delhi, the 23rd April, 2015

G.S.R. 310(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Labour Service (Group 'A') Rules, 2014, notified vide G.S.R. 401(E), dated the 11th June, 2014 as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and other conditions of Service to the Central Labour Service, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Labour Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions .--- In these rules, unless the context otherwise requires,--

- (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (b) "Controlling Authority" means the Central Government in the Ministry of Labour and Employment;
- (c) "Committee" means the Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee or Screening Committee constituted under these rules to consider promotion, confirmation and Non-functional Up-gradation of officers in any grade as specified in Schedule-IV;
- (d) "duty post" means any post, whether permanent or temporary included in Schedule-I;
- (e) "grade" means a Grade of the Service specified in Column 2 of Schedule-I;
- (f) "Other Backward Classes" shall have the same meaning and applicability as laid down in Department of Personnel and Training OM No. 36012/22/93-Estt (SCT), dated the 8th September, 1993;
- (g) "regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after appointment to a grade according to the procedure prescribed in Schedule-III, for regular appointment to that grade and includes any period or periods.-

(i) taken into account for the purposes for seniority in the case of those appointed as per rule 5;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

- (h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (i) "Scheduled Caste" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution respectively;
- (j) "Service" means the Central Labour Service (Group 'A') constituted under rule 3.

3. **Constitution of the Service.** (1) There shall be constituted a Service known as the Central Labour Service (Group 'A') consisting of members appointed to the Service under rules 5 and 7.

- (2) All the posts included in the Service shall be Group. 'A' posts.
- 4. Members of the Service.- The following persons shall be members of the Service, namely:-
 - 1. (a) persons deemed to have been appointed to duty posts under rule 5; and
 - (b) persons appointed to duty posts under rule 7.

2. A person referred to in clause (a) of sub-rule (1) shall be member of the Service in the appropriate grade applicable to him from the date of his appointment.

5. Initial Constitution.-(1) The Service shall on the date of commencement of these rules consists of officers who have already been appointed on a regular basis under the Central Labour Service Rules 2014 in various grades as specified in Schedule-I and the officers so appointed shall be deemed to have been appointed to the respective grades at the initial constitution of the Service.

(2) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) in the respective corresponding grades rendered prior to the publication of these rules shall count as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, Non-Functional Up-gradation and pension.

6. Grades, authorised strength and its review. -(1) The duty posts included in the various Grades of the Service, their numbers and Pay band and Grade Pay or Pay Scale on the date of commencement of these rules, shall be as specified in Schedule-I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Central Government.

(3) The Central Government may make additions or deletions to the strength of the duty posts in various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Central Government may, in consultation with the Commission, include in the service any post other than those included in the Schedule-I or exclude from the service a post included in the said Schedule.

(5) The Central Government may, in consultation with the Commission appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit and fix his seniority in that grade in accordance with the general orders or instructions of the Government issued from time to time.

7. Future maintenance of service. The posts in any of the grades referred to in Schedule-I shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule, and the persons so appointed shall be the members of the Service in the respective grades from the date of such appointment.

- (a) Fifty per cent (50 per cent) of the posts in the Junior Time Scale of the Service shall be filled by direct recruitment through the Commission on the basis of the educational qualifications and age limit as specified in Schedule-II, and the remaining fifty per cent (50 per cent) of the posts shall be filled by promotion amongst officers in the lower grade holding the post of Welfare Administrator and Labour Enforcement Officer (Central) with minimum qualifying service as specified in Schedule-III.
- (b) All the post in the Senior Time Scale and above shall be filled in accordance with the method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service as specified in Schedule-III.
- (c) The promotion of officers shall be made by 'Selection' except in the following case, namely:-

Grant of Non-Functional Selection Grade to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Welfare Commissioner (Central) or Welfare Commissioner (Headquarters) or Labour Welfare Commissioner (Central) or Director (Training) in the Junior Administrative Grade of the Service shall be by placement in the order of seniority based on their suitability in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.

- (d) Recruitment by promotion to every post of the Service shall be made on the recommendations of the Committee as specified in Schedule-IV.
- (e) Officers of the Service may be required to undergo such courses of training relevant to their duties for promotion to next higher grade.

8. Non Functional Up-gradation.—(a) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in the Pay band 3 or Pay band 4 or HAG, the Officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the centre on the recommendations of the Departmental Screening Committee constituted in accordance with Schedule-IV.

(b) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular grade pay would have to be met at the time of screening for grant of higher pay scale. [Annexure-I of DoPT OM No. AB.14017/64/2008-Estt.(RR) dated the 24th April, 2009].

(c) The other terms and conditions for grant of higher pay scale on Non-functional basis shall be as per orders and instructions issued on the matter by the Central Government from time to time.

9. Seniority.—(1The relative seniority of the members of the Service shall be the relative seniority in their respective Grades as already determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Controlling Authority in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time.

(2) The seniority of officers recruited to the Service under rule 7 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Central Government from time to time.

(3) In case of the officers not covered under sub-rule (1) and (2), seniority shall be determined by the Central Government in consultation with the Commission.

10. Probation.—(1) Every officer appointed to the post of Junior Time Scale of the Service shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken immediately after the expiry of the initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for doing so within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officers, if considered fit for permanent appointment, shall be confirmed in the Service.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Controlling Authority is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, he may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by Controlling Authority to undergo such course of training and instructions or to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as the Controlling Authority may deem fit, as a condition to the satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, not covered by these rules, the members of the Service shall be governed by the order, instructions issued in this regard by the Central Government from time to time.

11. Liability for service in any part of India and other conditions of service.—(1) The officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

(2) Any officer appointed to the service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India, for a period not less than four years, including the period spent on training, if any;

Provided that such officers,-

- (a) shall not be required to serve as aforesaid after expiry of ten years from the date of his appointment to the Service;
- (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of forty years.

(3) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters, for which no specific provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to Group 'A' officers of Central Civil Service.

12. Disgualification .--- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

भारत का राजपत्र : असाधारण

13. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

15. Interpretation.—If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

[See rules 2(d), 6(1) and 7]

Name; Number and Scale of Pay or pay band and grade pay of duty posts included in the various grades of the Central Labour Service (Group 'A')

S.No.	Grade and designation of the post.	No. of Posts*	Scale of Pay.	Grade Pay.
1	Higher Administrative Grade (HAG) - [Chief Labour Commissioner (Central)]	1	Rs.67,000-annual increment @3% Rs.79,000	1
2.	Senior Administrative Grade (SAG) [Additional Chief Labour Commissioner (Central) or Deputy Director General (Headquarters)]	2	Pay Band - 4, Rs.37,400-67,000	Rs.10,000
3.	Junior Administrative Grade (NFSG)	**	Pay Band - 4, Rs.37,400-67,000	Rs.8,700
4.	Junior Administrative Grade (JAG) [Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Welfare Commissioner (Central) or Labour Welfare Commissioner (Central) or Director (Training)]	59	Pay Band - 3, Rs.15,600-39,100	Rs.7,600
5.	Senior Time Scale (STS) [Regional Labour Commissioner (Central) or Deputy Welfare Commissioner (Central) or Deputy Labour Welfare Commissioner (Central) or Deputy Director(IR)]	115	Pay Band - 3, Rs.15,600-39,100	Rs.6,600
6.	Junior Time Scale (JTS) [Assistant Labour Commissioner (Central) or Assistant Welfare Commissioner(Central) or Assistant Labour Welfare Commissioner (Central) or Assistant Director(IR)] (The number of posts in JTS includes posts which are reserved for deputation, training and leave).		Pay Band - 3, Rs.15,600-39,100	Rs.5,400

* Subject to variation depended on work load.

** The number of posts in 'Non-functional Selection Grade' in the pay scale of Pay Band - 4, Rs.37,400 - 67,000 Grade Pay Rs.8,700) shall be restricted to 30 percent of senior duty posts in the cadre (i.e. posts in Pay Bands with Grade Pay of Rs.6,600 & above). There will be no increase in the overall strength of the cadre and the number of posts to be operated in the 'non-functional selection grade' shall not exceed the number of posts available in the Junior Administrative Grade.

SCHEDULE-II

[See rule 7(a)]

Educational qualification, experience and age limits for direct recruitment to the posts in Junior Time Scale of Central Labour Service (Group 'A') shall be as under:-Essential:

- (i) Degree of a recognised University;
- (ii) Diploma in Social Work or Labour Welfare or Industrial Relations or Personnel Management or Labour Laws from a recognised University or Institution.

1807 45715-4

Desirable:

Degree in Law from a recognised university.

Note: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates otherwise well qualified. Age limit: Not exceeding 35 years.

Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

SCHEDULE-III

[See rules 2(f), 7(b) and (c)]

Method of recruitment and the field of selection for appointment on promotion basis, to the duty posts included in the various grades of the Central Labour Service (Group 'A'):

Sl.No	Name of the post.	Method of Recruitment.	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion.
1	2	3	4
1	Higher Administrative Grade (HAG).	By Promotion (on	Promotion:
	[Chief Labour Commissioner (Central)]	selection basis), Failing which by	Officers in Senior Administrative Grade with 3 years regular service in the grade, or officers in feede
		Deputation (Including Short	grade with 25 years' regular service in Group 'A posts, out of which at least one year's regular service
		Term Contract)	should be in the Senior Administrative Grade.
		×	Deputation (Including Short Term Contract): From Officers under Central Government or Stat
			Governments or Government of Union Territories o Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies o
	. 6		Statutory Bodies:
			 (A) (i) Holding analogous posts on regula basis;
			 (ii) With three years' regular service in the Senior Administrative Grade in the pay scale of PB-4
			Rs.37,400-67,000 plus Grade Pay of Rs.10,000; and
			(B) Possessing the following educationa qualifications and experience:
			Essential Qualifications: (i) Degree of a recognized University;
30.		. ×	(ii) Diploma in Social Work or Labour Welfar
7	· · · · · ·		or Industrial Relations or Personnel Management of Labour Laws from a recognised University of
		×	Institution. Experience:
		×	Working Experience of 18 years in public field out of which at least five years in the field of Labour Laws
		8 e 5	Industrial Relations, Conciliations in Industria
			Disputes and Labour Welfare Schemes in the Centra Government or State Governments etc. includin
			exposure and knowledge of International Labou Laws.
			Note 1: The period of deputation including the perio
			of deputation in another ex-cadre post hel immediately preceding this appointment in the sam
			or some other organization or department of th Central Government shall ordinarily not excee
			three years.
	х ж.		Note 2: The maximum age limit for appointment b deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on th last date of receipt of applications.
			Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by a
			officer prior to 1.1.2006 (the date from which th

T.Mr Y

भारत का राजपत्र : असाधारण

15

			revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has beer merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any up-gradation.
2	Senior Administrative Grade (SAG). [Additional Chief Labour Commissioner (Central) or Deputy Director General (Headquarters)]	By promotion (on selection basis).	Promotion: Officers in the Junior Administrative Grade (JAG) with eight years' regular service in the grade including Non-Functional Selection Grade OR Officers with 17 years' regular service in the Group
			'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the JAG (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade of the JAG).
3	NFSG (JAG). Non-functional Selection Grade(NFSG)	By placement subject to suitability.	Officers in the Junior Administrative Grade (JAG) in the Pay Band – 3, Rs.15,600 – 39,100 plus Grade Pay of Rs.7600 who have entered the 14th Year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the officer was appointed or recruited to Group 'A' post";
4	Junior Administrative Grade (JAG). [Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Welfare Commissioner (Central) or Labour Welfare Commissioner (Central) or Director (Training)]	By promotion (on Selection basis).	Promotion: Officers in the Senior Time Scale Grade (STS) in the Pay Band - 3 Rs. 15,600 – 39,100 plus Grade Pay of Rs.6,600 or with five years' regular service in the grade.
5	Senior Time Scale (STS). [Regional Labour Commissioner (Central) or Deputy Welfare Commissioner (Central) or Deputy Labour Welfare Commissioner (Central) or Deputy Director(Industrial Relations)]	By promotion (on Selection basis).	Promotion: Officers in the Junior Time Scale (JTS) Grade in the scale of Pay Band-3 Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs.5,400 or with four years' regular service in the grade.
6	Junior Times Scale (JTS). [Assistant Labour Commissioner (Central) or Assistant Welfare Commissioner (Central) or Assistant Labour Welfare Commissioner (Central) or Assistant Director (Industrial Relations)]	50 per cent by Direct Recruitment.50 per cent by promotion.	Promotion: 15 per cent (of 50 per cent) Promotion from Welfare Administrator in the pay scale of Pay Band 2 Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay of Rs. 4,600 with three years' regular service in the grade and possessing Degree from a recognized University; and 85 percent (of 50 percent) Promotion from Labour Enforcement Officer (Central) in the scale of Pay Band 2 : Rs. Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay. Rs. 4,600 with three years' regular service in the grade and possessing Degree from a recognized University.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: Feeder grade officers holding the post of Welfare Administrator and Labour Enforcement Officer on regular basis on the date of notification of Central Labour Service (Group 'A') Rules, 2007 i.e. 15/05/2008 are exempted from possessing Degree from a recognized University.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission

1807 95715-5

recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

SCHEDULE-IV

[See rules 2(c) and 7(d)]

Composition of Committees for considering cases of Promotion, Confirmation and Non-Functional up-Gradation of Group 'A' Officers of Central Labour Service:

SI. No.	Name of Post.	Departmental Promotion Committee for considering promotion.	Departmental Confirmation Committee for considering confirmation.	Screening Committee for considering Non- functional Up-gradation (NFU)
1	2	3	4	5
1	Higher Administrative Grade (HAG). [Chief Labour Commissioner (Central)]	 (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman (ii) Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member (iii) Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion – Member 	Not applicable.	 Secretary, Ministry of Labour and Employment Chairman Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion – Member Secretary, Department of Commerce –Member
2	Senior Administrative Grade (SAG). [Additional Chief Labour Commissioner (Central) or Deputy Director General (Headquarters)]	 (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission –Chairman (ii) Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member (iii) Chief Labour Commissioner (Central) – Member 	Not applicable.	 (i) Secretary, Ministry of Labour and Employment) -Chairman (ii) Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member (iii) Chief Labour Commissioner (Central) - Member
3	NFSG(JAG). (Non-functional Selection Grade)	 (i) Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman (ii) Chief Labour Commissioner (Central) - Member (iii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment - Member (iv) Joint Secretary (Admn.), Ministry of Water Resources - Member 	Not applicable.	Not applicable.
4	Junior Administrative Grade(JAG). [Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Welfare Commissioner or Welfare Commissioner (Head- quarters) or Labour Welfare Commissioner or Director (Training)]	 (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission Chairman (ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment Member (iii) Chief Labour Commissioner(Central) Member 	Not applicable.	 (i) Secretary, Ministry of Labour and Employment) Chairman (ii) Chief Labour Commissioner (Central) Member (iii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member
5	Senior Time Scale (STS). [Regional Labour Commis- sioner (Central) or Deputy Labour Welfare Commis- sioner (C) or Deputy Welfare Commissioner (C)]	 (i) Secretary, Ministry of Labour and Employment Chairman (ii) Chief Labour Commissioner (Central) Member ((iii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment Member 	Not applicable.	 (i) Secretary, Ministry of Labour and Employment) Chairman (ii) Chief Labour Commissioner (Central) – Member (iii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment –Member
6	Junior Times Scale (JTS).	(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman	i) Additional Secretary Ministry	Not applicable.

16

T.Str. Y.

[भाग]	[[-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण		17
	[Assistant Labour Commissioner (Central) or Assistant Labour Welfare Commissioner (C) or Assistant Welfare Commissioner (C) or Assistant Director]	 (ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment - Member (iii) Chief Labour Commissioner (Central) - Member 	ii) Chief Labour	
-			(iii) Director or Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment Member	

[F. No. A-39011/02/2013-CLS-I]

DHEERAJ KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

